संख्या- 57 /2021 / 653 /चार-2021-27 (विविध)/ 2018

प्रेषक,

मुकेश कुमार मेश्राम,
प्रमुख सचिव ,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ: दिनांक 16 मार्च, 2021

विषय:- वित्तीय वर्ष 2020-21 में पं0 सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला की जन्मस्थली गढाकोला, उन्नाव में विशाल स्मृति भवन, पुस्तकालय एवं अन्य संरचना के निर्माण कराये जाने की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अधिशासी अभियन्ता, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ के पत्र संख्या- 336/डी-49/08 दिनांक 02 मार्च, 2021 के संदर्भ में अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या-133/ 2019/2335/चार-2019-27(वि0)/2018 दिनांक 18 अक्टूबर, 2019 द्वारा पं0 सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला की जन्मस्थली गढाकोला, उन्नाव में विशाल स्मृति भवन, पुस्तकालय एवं अन्य संरचना के निर्माण हेतु रू0 1464.34 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी। तत्क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पं0 सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला की जन्मस्थली गढाकोला, उन्नाव में विशाल स्मृति भवन, पुस्तकालय एवं अन्य संरचना के निर्माण कराये जाने हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्राविधानित धनराशि रू0 600.00 लाख के सापेक्ष रू0 366.00 लाख (रूपये तीन करोड़ छाछठ लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है।

2- प्रश्नगत कार्य हेतु दी गयी उक्त वित्तीय स्वीकृति निम्नांकित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगी:-

(1) शासनादेश संख्या- 133/2019/2335/चार-2019-27(वि0)/2018 दिनांक 18 अक्टूबर, 2019 में उल्लिखित शर्ते यथावत रहेंगी।

(2) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 24-03-2020 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) प्रायोजना के निर्माण कार्य में वस्तु एवं सेवाकर (जी0एस0टी0) की धनराशि कार्यदायी संस्था को वास्तविक भुगतान के अनुसार नियमानुसार अनुमन्य होगी तथा इस संबंध में कार्यदायी संस्था द्वारा जी0एस0टी0 भुगतान के संबंध में सक्षम स्तर से प्रमाणिक प्रपत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(4) प्रशासकीय विभाग यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

(5) बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व प्रशासकीय विभाग का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश प्रशासकीय विभाग द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(6) कार्यदायी संस्था से कार्य पूर्ण होने के सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायें।

(7) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(8) प्रश्नगत स्वीकृति प्रशासकीय विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है, यदि मानक के संबंध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका उत्तरदायित्व प्रशासकीय विभाग का होगा।

(9) अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

3- उपर्युक्त स्वीकृति से सम्बन्धित व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या- 92- के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 4202-शिक्षा खेलकूद कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय-04-कला तथा संस्कृति-800-अन्य व्यय-42-पं0 सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला की जन्मस्थली गढाकोला, उन्नाव में विशाल स्मृति, भवन पुस्तकालय एवं अन्य संरचना 24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- उक्त स्वीकृति प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
(मुकेश कुमार मेश्राम)
प्रमुख सचिव

संख्या- 57 /2021 / 653 /चार-2021-27 (विविध)/ 2018 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
3- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- निदेशक, ग्लोबल कंस्ट्रक्शन एंड कंसल्टेंसी सेल, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद्, नीलगिरी काम्प्लेक्स इंदिरा नगर, लखनऊ।
5- परियोजना प्रबंधक, निर्माण इकाई-2, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद्, कानपुर।
6- वित्त (लेखा) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग/नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(शिशिर)
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in